

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2020/00217

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी / अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट

श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुंदरसिंह गोयल

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
जिला परिवहन अधिकारी सिरौही

जति राजपूत

रिवासी नयावास नं. 2 सिरौही

जिला सिरौही

विस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 19 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
07/08/2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी सिरौही को दिनांक 29.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि बिना वाहन विक्रय का लाइसेंस लिये कितने शोरूम संचालित है व उन पर कब-कब कार्यवाही हुई एवं वाहन विक्रेता नियमानुसार वाहन पंजयीन कर रहे है व उनके द्वारा नियत तिथि तक वाहन कर जमा कराया जा रहा है से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी सिरौही को दिनांक 29.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि बिना वाहन विक्रय का लाइसेंस लिये कितने शोरूम संचालित है व उन पर कब-कब कार्यवाही हुई एवं वाहन विक्रेता नियमानुसार वाहन पंजयीन कर रहे है व उनके द्वारा नियत तिथि तक वाहन कर जमा कराया जा रहा है से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। जिला परिवहन अधिकारी सिरौही के अपीलांत अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। अपीलांत चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही

239-40
13/8/20